न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 362–एक/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–03–2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 8/2006–07/निगरानी

श्रीमती अरविन्द कुमारी पत्नी राजेन्द्र सिंह
निवासी ग्राम नुनवाहा तह.
व जिला दतिया म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

1– हरेन्द्र सिंह पुत्र दिमान रामानुज प्रताप सिंह
निवासी हाल ग्राम नुनवाहा तह.
जिला दतिया म.प्र.

2– दिमान रामानुज प्रताप सिंह पुत्र स्व.लक्ष्मण सिंह
निवासी ग्राम ननोरा हाल चंदेरी
जिला अशोकनगर म.प्र. ——— अनावेदकगण

श्री एस0पी0 धाकड, अधिवक्ता, आवेदक ।

: आदेश :

(आज दिनाक 7 जुलाई, 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 08/2006–07/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–03–2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसील न्यायालय दतिया के द्वारा अपने प्र.क. 15/अ–6/2003–2004 मे पारित आदेश दिनांक 19–01–06 के द्वारा ग्राम नुनवाहा की भूमि सर्व नं. 924 रकवा, 1.892 है. के भाग 2/9 के भूमि स्वामी सूरजवंश कुमारी का फोत होने पर वसीयत के आधार पर आवेदिका अरविंद कुमारी के हक में

नामांतरण के आदेश दिये गये । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिमान एवं हरेन्द्र सिंह के द्वारा दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गयी । अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दोनों अपीलों मे संयुक्त रूप से आदेश पारित करते हुए अपीलें स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त पारित करते हुए प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया । उनके इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि की भूमिस्वामी आवेदिका की मां सूरजवंश कुमारी थी उसके द्वारा आवेदिका के पक्ष में पंजीकृत वसीयत दिनांक 20.10.92 को की गई थी । विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाकर नामांतरण स्वीकार किया गया है । जिसमें कोइ त्रुटि नहीं है ।

यह तर्क दिया गया कि लक्ष्मण सिंह की दो शादी हुई थी, पहली पत्नि का नाम राजा है जिसका पुत्र अनावेदक क. 2 है । दूसरी पत्नी आवेदिका की मां सूरजवंश कुमारी थी । प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका की मां द्वारा खरीदी गई है । जब अनावेदकों को इस बारा की जानकारी हुई कि सूरजवंश कुमारी ने अपनी स्वअर्जित भूमि को अपनी इकलौती पुत्री आवेदिका को वसीयत के आधार पर दे दी है तब अनावेदक क. 1 द्वारा फर्जी कूटरचित वसीयत दिनांक 2–2–01 तैयार कराया गया है तथा उसके द्वारा वसीयत को साक्ष्य से भी साबित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अपीलीय न्यायालय का यह वैधानिक कर्त्तव्य है कि वे सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना कर आदेश पारित करें किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का किंचित मात्र विवेचन न करते हुए बना किसी पर्याप्त आधार के प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है । अपर आयुक्त ने भी इस विधिक स्थिति को अनदेखा किया है ।

4– अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं ।

5– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वसीयत के आधार पर नामांतरण का है । प्रकरण मे नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 9–10–01 को वसीयत के आधार पर आवेदिका के पक्ष मे

नामांतरण का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 26—12—01 के आदेश पारित करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि अनावेदक हरेन्द्रसिंह की वसीयत की विधिवत जांच कर उभयपक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान कर विधिवत आदेश पारित किया जाये । तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्तन उपरांत प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार ने उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने के उपरांत एवं प्रकरण में आई साक्ष्य के आधार पर पुनः आवेदिका के पक्ष मे वसीयत के आधार पर नामांतरण का आदेश पारित किया गया है । अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों का यह निष्कर्ष कि प्रत्यावर्तन के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही नही की गई है, मान्य किये जाने योग्य नहीं है ।

6— अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में 2 वसीयते हैं एक वसीयत पजीकृत होकर आवेदिका जो वसीयतकर्ता की पुत्री है के पक्ष मे है और दूसरी वसीयत अनावेदक हरेन्द्रसिंह के पक्ष में है जो नोटरी के समक्ष बताई गई है । तहसीलदार ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विस्तार से विवेचना करने के उपरांत यह पाया है कि हरेन्द्र सिंह द्वारा नोटरी अभिभाषक के कथन हेतु कई समय लेने के उपरांत उनके कथन नहीं कराए गए । वसीयत के जो साक्षीगण है, वे वसीयतगृहीता के रिश्तेदार है तथा स्वतंत्र साक्षी नहीं है । उन्होंने यह भी पाया है कि वसीयतगृहीता हरेन्द्र एवं उनके पिता विमान रामानुज प्रतापसिंह के कथनों में भिन्नता है । विचारण न्यायालय ने वसीयतों की विधिवत जांच की है और बाद की वसीयत संदेहास्पद होने से उसे सिद्ध नहीं माना है और आवेदिका जो कि वसीयतकर्ता मृतक सूरजवंश कुमारी की पुत्री है उसके पक्ष में जो पंजीकृत वसीयत है उसको प्रमाणित मानते हुए नामांतरण के आदेश दिए है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में विचारण न्यायालय का जो आदेश है उसमे कोई विधिक या सारवान त्रुटि नहीं है जिस कारण प्रकरण पुनः गौर हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा दो बार जांच करने के उपरांत आवेदिका के पक्ष में जो वसीयत है उसको प्रमाणित पाते हुए नामांतरण के आदेश आवेदिका के पक्ष मे दिए है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस कारण के प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित करने में विधिक त्रुटि की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी प्रकरण में

उपलब्ध साक्ष्य को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है । अतः दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश स्थिर नहीं रखे जा सकते ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त 26–3–06 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 27–9–06 निरस्त किए जाते है तथा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश 19–1–2006 स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर